दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2017 / 2436 दिनांक 27/04/2017

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य

महाराणा प्रताप पी0जी0 कालेज, जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषय : स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र विषय एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या **दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2015 / 335 दिनांक 30.05.2015** द्वारा महाराणा प्रताप पी0जी0 कालेज, जंगल धूषण, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र विषय एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रम में कतिपय शर्तों के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।

महाविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र के अनुसार संदर्भित पाठ्यक्रम का शैक्षिक सत्र 2015–16 का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है तथा महाविद्यालय नकल में आरोपित नहीं है। शैक्षिक सत्र 2016–17 का परीक्षाफल व नकलविहीन प्रमाण पत्र वांछित है।

निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर सम्बद्धता समिति द्वारा **निर्णय लिया गया कि** महाराणा प्रताप पी0जी0 कालेज, जंगल धूषण, गोरखपुर में स्नातकोत्तर स्तर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र विषय एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता **शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु तथा उपर्युक्त / अन्य कमियों को पूर्ण करने के शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2017 से** स्थाई सम्बद्धता **प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है। निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में यदि किसी प्रकार की भिन्नता / त्रुटि पाई जाती है, तो जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**

सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में महाराणा प्रताप पी0जी0 कालेज, जंगल धूषण, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र विषय एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रम में माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन **दिनांक 01.07.2017 से शैक्षिक सत्र 2016–17 का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक होने एवं नकलविहीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :–**

1. शासन के पत्र संख्या सम्ब0 0385 / सत्तर–6–2013–2(265) / 2013 दिनांक 20, अगस्त, 2013 में उल्लिखित शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता है।
2. संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर–2 –2007–2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर–2–2008– 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्राविधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
5. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
6. संस्था शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
7. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
8. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
9. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश / शासनादेशों में दी गई व्यवस्था / निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
10. महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठाकंन संख्या : सम्बद्धता / 2017 / ..... तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला संकाय / वाणिज्य संकाय / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. उप कुलसचिव (कमेटी) को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय।
5. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव